बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/आ0–5–39/2015 363(9)/स्वा0/पटना, 04/04/2016 दिनांक / डा0 जयशंकर प्रसाद अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सह–प्रभारी सिविल सर्जन, रोहतास, सासाराम सम्प्रति निलंबित को दिनांक 15.12.15 को 80,000/–(अस्सी हजार रूपए) रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग के धावादल द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने एवं थाना कांड सं0 106/2015 दिनांक 15.12.2015 दर्ज किए जाने के आरोप में गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 15.12.15 के प्रभाव से निलंबित किया गया था।

2. जमानत पर रिहा होने के उपरांत दिनांक 05.02.16 को डा0 प्रसाद द्वारा विभाग में योगदान समर्पित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (3) (ii) के तहत डा0 जयशंकर प्रसाद तत्कालीन सिविल सर्जन, रोहतास, सासाराम संप्रति निलंबित का योगदान उनके योगदान की तिथि (दिनांक 05.02.16) के प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

यह देखते हुए कि डा0 जयशंकर प्रसाद को रिश्वत लेने के गंभीर आरोपों के लिए निलंबित किया गया था। उन्होनें अपने विधिसम्मत कार्यो/दायित्वों के निर्वहन के लिए रिश्वत की मांग की एवं रिश्वत की राशि स्वीकार किया। डा0 प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जा रही है।

उनके उपर्युक्त आचरण के लिए उन्हें पुनः तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में डा0 प्रसाद का मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्णियां प्रमण्डल पूर्णियां का कार्यालय होगा।

4. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के प्रावधानों के तहत डा0 प्रसाद को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। बशर्ते कि वे निलंबन अवधि में अपने निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
सरकार के अवर सचिव,
स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांकः 363(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 04/04/2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव (मुद्रण) वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियां/सिविल सर्जन रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप सचिव निगरानी विभाग, सूचना भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 जयशंकर प्रसाद, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सह–प्रभारी सिविल सर्जन, रोहतास, सासाराम संप्रति निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ के निजी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

04.4.16

सरकार के अवर सचिव

D:\SWETA SHARMA 2016\Notification 2016.docx